



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

26 सितंबर 2024

भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी का कैलेंडर
(दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए)

भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा, दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम हेतु कैलेंडर को निम्नानुसार अधिसूचित करता है:

खज़ाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि (1 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2024)					
(₹ करोड़)					
नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	91 दिवसीय	182 दिवसीय	364 दिवसीय	कुल
03 अक्टूबर 2024	04 अक्टूबर 2024	7,000	6,000	6,000	19,000
09 अक्टूबर 2024	10 अक्टूबर 2024	7,000	6,000	6,000	19,000
16 अक्टूबर 2024	17 अक्टूबर 2024	7,000	6,000	6,000	19,000
23 अक्टूबर 2024	24 अक्टूबर 2024	7,000	6,000	6,000	19,000
30 अक्टूबर 2024	31 अक्टूबर 2024	7,000	6,000	6,000	19,000
06 नवंबर 2024	07 नवंबर 2024	7,000	6,000	6,000	19,000
13 नवंबर 2024	14 नवंबर 2024	7,000	6,000	6,000	19,000
20 नवंबर 2024	21 नवंबर 2024	7,000	6,000	6,000	19,000
27 नवंबर 2024	28 नवंबर 2024	7,000	6,000	6,000	19,000
04 दिसंबर 2024	05 दिसंबर 2024	7,000	6,000	6,000	19,000
11 दिसंबर 2024	12 दिसंबर 2024	7,000	6,000	6,000	19,000
18 दिसंबर 2024	19 दिसंबर 2024	7,000	6,000	6,000	19,000
26 दिसंबर 2024	27 दिसंबर 2024	7,000	6,000	6,000	19,000
कुल		91,000	78,000	78,000	2,47,000

2. भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक के पास, भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर खज़ाना बिलों की अधिसूचित राशि और समय-सारणी में बाजार को विधिवत सूचना देने के बाद संशोधन करने की छूट होगी। इस तरह, बीच में पड़ने वाली छुट्टियों के कारणों सहित यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इस कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई परिवर्तन होता है, तो उन्हें प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

3. खज़ाना बिलों की नीलामी भारत सरकार द्वारा [27 मार्च 2018 को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य अधिसूचना सं. एफ.सं.4\(2\)-डब्ल्यू एंड एम/2018](#) में विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।